तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2002/90/जयपुर गोकुलचन्द बनाम जवाना आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
17.12.24	**<u>एकल–पीठ</u>** **कमला अलारिया, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री हेमन्द दीक्षित, अभिभाषक अप्रार्थीगण **<u>आदेश</u>** हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा – 230 के अन्तर्गत विद्वान सहायक कलक्टर, शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या – 115/1999 में दिनांक 12–04–2002 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध विद्वान सहायक कलक्टर, शाहपुरा जिला जयपुर के न्यायालय में विवादित आराजी के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र दिनांक 22–05–2000 को डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक नॉन–स्पीकिंग आदेश के माध्यम से उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 12–04–2002 से व्यथित होकर हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी है । विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का सारतः कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश – 9 नियम – 13 जाब्ता दीवानी स्वीकार करने का कोई कारण स्पष्ट	

नहीं किया है । अतः उपरोक्त आदेश सकारण आदेश की परिधि में नहीं आने के कारण प्रकरण सकारण आदेश पारित करने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है । अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 12–04–2002 अपास्त किये जाने योग्य है। प्रतिउत्तर बहस में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् निर्णय व डिक्री दिनांक 22–05–2000 एकतरफा तौर पर पारित किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि पूर्ववती निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी विद् कॉस्ट स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तगत् निगरानी अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं आक्षेपित आदेश का विधि के परिप्रेक्ष्य में आद्योपांत अवलोकन किया।

हस्तगत् प्रकरण में आलौच्य आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्वीकृत एवं सुस्पष्ट स्थिति है कि आलौच्य आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को स्वीकार करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश – 9 नियम – 13 सीपीसी को निस्तारित करते समय प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करता। सकारण आदेश पारित करने का तात्पर्य यही है कि वह पक्षकार जिसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है वह प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कारण एवं आदेश की औचित्यता से अवगत हो सके जिससे कि प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों की पालना हो सके। अतः कारण अभिलिखित किये बिना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश – 9 नियम – 13 सीपीसी स्वीकार करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्टतः तात्विक एवं सारवान् अनियमितता की है ।

निष्कर्षतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है एवं विद्वान सहायक कलक्टर, शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–04–2002 अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश – 9 नियम – 13 सीपीसी पर पुनः सुस्पष्ट एवं सकारण विधिसम्मत आदेश पारित करें ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)

सदस्य